

फरवरी 2021

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **केंद्रीय बजट 2021-22**
 - केंद्रीय बजट 2021-22
 - 15वाँ वित्त आयोग
- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
 - GDP में 0.4% की वृद्धि
 - रेपो रेट और रविर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरवर्तनीय
- **वधि एवं न्याय**
 - ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2021
 - मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021
- **परविहन**
 - मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2020
 - केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
- **वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी**
 - DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन अधिनियम-2019
- **वैदेशी मामले**
 - समुद्री जलदसयुता रोधी अधिनियम, 2019
- **गृह मामले**
 - जम्मू और कश्मीर पुनर्र्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021
 - राष्ट्रीय आपदा शमन कोष
- **शहरी मामले**
 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (संशोधन) अधिनियम
 - राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मशिन
- **वित्त**
 - फैंक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2020
 - नई विनियमन नीति
- **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी**
 - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशिया-नरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), 2021
 - उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
 - ब्लॉकचेन पर मसौदा राष्ट्रीय रणनीति
- **संचार**
 - 5जी के लिये भारत की तैयारी
- **वाणजिय एवं उद्योग**
 - भारतीय अर्थव्यवस्था में नविश
- **श्रम**
 - प्रवासी श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय
- **स्वास्थ्य**
 - चिकित्सा उपकरण नियम, 2017
- **रक्षा**
 - रक्षा अधिग्रहण परिषद
- **महिला एवं बाल विकास**
 - कशिशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
- **कॉर्पोरेट मामले**
 - छोटी कंपनियों की कैपिटल और टर्नओवर की सीमा बढाई
- **ऊर्जा**

- बजिली की खरीद के लिये प्रतस्पर्द्धी बडिगि प्रक्रिया
- [रसायन एवं उर्वरक](#)
 - उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन योजना
- [पृथ्वी वजिज्ञान](#)
 - नीली अर्थव्यवस्था

केंद्रीय बजट 2021-22

केंद्रीय बजट 2021-22

वित्त मंत्री नरिमला सीतारमण ने 2021-22 का [केंद्रीय बजट](#) पेश किया।

[और पढ़ें](#)

15वाँ वित्त आयोग

वित्त आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिये राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।

[और पढ़ें](#)

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

GDP में 0.4% की वृद्धि

वर्ष 2019-20 की तीसरी तमिही (अक्टूबर-दिसंबर 2020) के मुकाबले वर्ष 2020-21 में इसी अवधि के दौरान [सकल घरेलू उत्पाद](#) (Gross Domestic Product- GDP) में 0.4% प्रतशित की वृद्धि हुई है।

[और पढ़ें](#)

रेपो रेट और रविर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरविर्तनीय

[मौद्रिक नीति समिति](#) (Monetary Policy Committee- MPC) ने वर्ष 2020-21 का छठा द्विमसिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया। पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देता है) 4% पर बरकरार है।

[और पढ़ें](#)

वधि एवं न्याय

ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तों) वधियक, 2021

ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तों) वधियक [Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Bill], 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वधियक कुछ मौजूदा अपीलीय ट्रिब्यूनल को भंग करने और उनके कार्यों (जैसे- अपीलों पर न्यायिक निर्णय लेना) को दूसरे मौजूदा न्यायिक निकायों (मुख्य रूप से उच्च न्यायालय) को ट्रांसफर करने का प्रयास करता है। इन अपीलीय निकायों में नमिनलखित शामिल हैं:

- [चलचित्र अधिनियम \(Cinematograph Act\), 1952](#) के अंतर्गत अपीलीय ट्रिब्यूनल।
- व्यापार चहिन अधिनियम (Trademark Act) 1999 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड।
- पेटेंट्स एक्ट, 1970 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड।

[वित्त अधिनियम, 2017](#) केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह 19 ट्रिब्यूनल (जैसे- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल) के सदस्यों की योग्यता, उनकी सेवा की अवधि और शर्तों तथा खोज-सह-चयन समितियों (Search-Cum-Selection Committees) के संयोजन से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर सकती है। वधियक 2017 के अधिनियम में संशोधन करता है ताकि खोज-सह-चयन समितियों के संयोजन और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि के प्रावधानों को उसमें शामिल किया जा सके। इनमें नमिनलखित शामिल हैं:

- **खोज-सह-चयन समितियों का संयोजन:** खोज-सह-चयन समितियों में नमिनलखिति सदस्य शामिल होंगे:
 - (i) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो कसमति का चेरपरसन होगा (कास्टगि वोट के साथ) ।
 - (ii) केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचवि ।
 - (iii) वर्तमान या नविरतमान चेरपरसन या सर्वोच्च न्यायालय का सेवानवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानवृत्त मुख्य न्यायाधीश ।
 - (iv) जसि मंत्रालय के अंतरगत ट्रबियूनल का गठन कया गया है, उसका सचवि (वोटगि अधिकार के बनिा) ।

वधियक में नरिदषिट है कि केंद्र सरकार को समतिके सुझाव की तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रबियूनलस में नयुक्तथि करनी होगी ।

- **कार्यकाल:** वधियक में नरिदषिट कया गया है कि ट्रबियूनल के चेरपरसन का कार्यकाल चार वर्ष का होगा, या उसकी आयु 70 वर्ष होने तक (इसमें से जो भी पहले हो) । ट्रबियूनल के सदस्यों के लयि यह कार्यकाल चार वर्ष का या उनकी आयु 67 वर्ष होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) होगी ।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) वधियक, 2021

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) वधियक [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill], 2021 लोकसभा में पारति कया गया । यह मध्यस्थता और सुलह अधनियम (Arbitration and Conciliation Act), 1996 में संशोधन करता है ।

[और पढ़ें](#)

परविहन

मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण वधियक, 2020

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण वधियक (Major Port Authorities Bill), 2020 को संसद में पारति कया गया । यह वधियक प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधनियम (Major Port Trusts Act), 1963 का स्थान लेता है ।

[और पढ़ें](#)

केंद्रीय मोटर वाहन नयिम, 1989

सड़क परविहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधनियम (Motor Vehicles Act), 1988 के अंतरगत केंद्रीय मोटर वाहन नयिम (Central Motor Vehicles Rules) 1989 में मसौदा संशोधन जारी कयि हैं । अधनियम मोटर वाहन के मानक, ड्राइवगि लाइसेंस प्रदान करने तथा इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान करता है । मसौदा संशोधन सड़क सुरक्षा संबंधी नयिमों के इलेक्ट्रॉनिकि नरिक्षण और प्रवर्तन को वनियमति करने का प्रयास करता है । मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **इलेक्ट्रॉनिकि प्रवर्तन उपकरण (EED):** मसौदा नयिम ऐसे उपकरणों में स्पीड कैमरा, CCTV और बॉडी वयिरेबल कैमरा शामिल करते हैं । इन उपकरणों को पुलसि के अनुमोदन प्रमाण पत्र के बाद चालान जारी के लयि इस्तेमाल कया जा सकता है । इस प्रमाण पत्र को प्रतविरष संबंधति पुलसि अधिकारथिों या नरिदषिट प्राधिकरण द्वारा नवीनीकृत कया जाना चाहयि ।
- **प्लेसमेंट:** राज्य सरकारों को सुनश्चिति करना चाहयि कि EED को नमिनलखिति स्थानों पर लगाया जाए:
 - (i) राष्ट्रीय राजमार्ग, जहाँ बहुत अधिक जोखमि और घनत्व होता है ।
 - (ii) राज्यों की राजधानयिों में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर ।
 - (iii) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ।

राज्य सरकारों को यह सुनश्चिति करना चाहयि कि EED की नगिरानी वाले क्षेत्रों में पहले चेतावनी वाले चहिन लगाए जाएँ ।

- **अपराध:** EED को कनि नयिमों के उल्लंघन पर चालान करने के लयि इस्तेमाल कया जा सकता है, इसकी एक सूची मसौदा नयिमों में दी गई है । इन उल्लंघनों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - (i) स्पीड लमिति से अधिक पर ड्राइव करना ।
 - (ii) अनाधिकृत स्थान पर रुकना या पार्कगि करना ।
 - (iii) नरिदषिट सुरक्षा उपायों का पालन न करना, जैसे- सीटबेल्ट्स न लगाना, हेलमेट न पहनना ।
 - (iv) रेड लाइट पार करना या स्टॉप के संकेत पर न रुकना ।

अपराध का नोटसि घटना के 15 दनिों के अंदर भेजा जाना चाहयि । अपराध को रजसिटर करने के लयि इलेक्ट्रॉनिकि रकिॉर्ड को न्यूनतम 30 दनिों तक संग्रहीत कया जाना चाहयि ।

वजिज्ञान और टेक्नोलॉजी

DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) वनियमन वधियक-2019

वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: जयराम रमेश) ने DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) वनियमन वधियक, 2019 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

[और पढ़ें](#)

वदिशी मामले

समुद्री जलदस्युता रोधी वधियक, 2019

वदिशी मामलों से संबंधित समुद्री जलदस्युता रोधी वधियक (Anti-Maritime Piracy Bill), 2019 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वधियक मैरीटाइम पायरेसी को रोकने और पायरेसी के अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), 1982 के पायरेसी से संबंधित प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है। समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **वधियक की प्रयोज्यता:** वधियक में प्रावधान है कि यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ) की सीमाओं और उससे परे के सभी समुद्री भागों यानी समुद्री तट के 200 समुद्री मील के परे सभी हसिसों पर लागू होगा। समिति ने कहा है कि UNCLOS के अंतर्गत वभिन्न देशों को अपने EEZ में एंटी पायरेसी संबंधी गतविधियाँ संचालित करने का अधिकार है। उसने सुझाव दिया कि वधियक की प्रयोज्यता में EEZ को भी शामिल किया जाए।
- **पायरेसी के लिये सज़ा:** वधियक में प्रावधान है कि पायरेसी के मामले में नमिनलखिति सज़ा हो सकती है:
 - (i) आजीवन कारावास।
 - (ii) मृत्यु, अगर पायरेसी में हत्या की कोशिश शामिल है और उसके कारण किसी की मृत्यु हो जाती है।
- समिति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अनविरय मृत्युदंड का प्रावधान मनमाना और अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि अन्य कानूनों के प्रावधान जो कि अनविरय मृत्युदंड का प्रावधान करते थे, उन्हें अदालतों ने रद्द कर दिया है। हालाँकि समिति ने सुझाव दिया है कि पायरेसी के दौरान अगर नतीजा किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनविरय मृत्यु दंड का प्रावधान किया जा सकता है। उसने यह भी कहा कि अगर पायरेसी की कोशिश में किसी की मृत्यु नहीं होती तो मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिये।
- **न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:** वधियक में प्रावधान है कि किसी वदिशी जहाज़ पर किये गए अपराध नरिदषिट न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते, जब तक नमिनलखिति द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं किया जाता:
 - (i) जहाज़ का मूल देश।
 - (ii) जहाज़ का मालिक।
 - (iii) जहाज़ पर मौजूद कोई अन्य व्यक्ति।समिति ने सुझाव दिया कि इस प्रावधान को हटा दिया जाए।
- इसके अतिरिक्त वधियक में प्रावधान है कि न्यायालय किसी व्यक्ति पर तब भी वचिर कर सकती है, जब वह न्यायालय में उपस्थिति न हो। समिति ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। समिति ने गैर-मौजूदगी की स्थिति में मुकदमा चलाए जाने पर कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाने के सुझाव दिये, जैसे:
 - (i) अगर आरोपी को मुकदमे की जानकारी है।
 - (ii) आरोपी तय समय में अपील का अनुरोध नहीं करता।

गृह मामले

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) वधियक, 2021

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) वधियक [Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill], 2021 को संसद में पारित कर दिया गया। यह [वधियक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019](#) में संशोधन करता है। अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **नरिवाचति वधियकिका संबंधी प्रावधानों को लागू करना:** अधिनियम में प्रावधान है कि संविधान का अनुच्छेद 239 A, जो कि पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश पर लागू है, जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 239 A में पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना का प्रावधान है, जसिमें:
 - (i) एक वधियकिका होगी, जो कि चयनति या आंशिक रूप से नामति और आंशिक रूप से नरिवाचति हो सकती है।
 - (ii) एक मंत्रपरिषद होगी।वधियक में कहा गया है कि अनुच्छेद 239 A के अतिरिक्त संविधान के ऐसे कोई भी प्रावधान, जनिमें राज्य वधियनसभा के चयनति सदस्यों का संदर्भ हो और जो पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश पर लागू होते हैं, भी जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश पर लागू होंगे।
- **प्रशासनिक केंद्रस का वलिय:** अधिनियम नरिदषिट करता है कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नरिधारति नयिोजन के आधार पर दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य करना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त भवषिय में दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में अधिकारियों की तैनातियाँ अरुणाचल, गोवा, मज़ोरम केंद्रशासित (Arunachal Goa Mizoram Union Territory-

AGMUT) कैंडर से की जाएगी। AGMUT कैंडर में अरुणाचल प्रदेश, मज़ोरम और गोवा के तीन राज्य तथा सभी केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। वधियक इन खंडों (Clause) में संशोधन करता है और जम्मू-कश्मीर के मौजूदा कैंडर के अधिकारियों का वलिय AGMUT कैंडर में करता है।

राष्ट्रीय आपदा शमन कोष

[आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा शमन कोष को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह आपदाओं के शमन के लिये खास तौर से परियोजनाएँ चलाने हेतु एक कोष की स्थापना करे। इस कोष का प्रबंधन [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण](#) (National Disaster Management Authority) करेगी जो कि भारत में आपदा प्रबंधन और शमन के लिये ज़िम्मेदार मुख्य प्राधिकरण है।

शहरी मामले

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली कानून (संशोधन) वधियक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली कानून (वशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) वधियक, 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। वधियक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली कानून (वशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 में संशोधन करता है।

[और पढ़ें](#)

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मशिन

आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मशिन (National Urban Digital Mission- NUDM) की शुरुआत की गई है।

[और पढ़ें](#)

वित्त

फैक्टरिंग वनियमन वधियक, 2020

वित्त संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: जयंत सिन्हा) ने फैक्टरिंग वनियमन (संशोधन) वधियक [Factoring Regulation (Amendment) Bill], 2020 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह वधियक फैक्टरिंग वनियमन वधियक अधिनियम [Factoring Regulation Act], 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिज़नेस करने वाली एंटीटिज़ के दायरे को बढ़ाता है। फैक्टरिंग एक ऐसा लेन-देन होता है जिसमें एक एंटीटि (फैक्टर) तुरंत फंड्स हासिल करने के लिये अपने ग्राहकों का पूरा प्राप्य (Receivable) या उसके एक हिस्से को तीसरे पक्ष को बेच देती है। हालाँकि फैक्टरिंग सभी उद्यमों के लिये उपलब्ध है, समिति ने [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों](#) (Micro- Small and Medium Enterprises- MSME) के भुगतानों में देरी की समस्या को देखते हुए वधियक के महत्त्व का उल्लेख किया है। समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलिखित शामिल हैं:

- **TReDS को GSTN के साथ जोड़ना:** [व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली](#) (Trade Receivable Discounting System-TReDS) MSME के व्यापार प्राप्य के वित्त पोषण का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (Goods and Services Tax Network- GSTN) सरकार और करदाताओं को [वस्तु एवं सेवा कर](#) (Goods and Services Tax- GST) को लागू करने के लिये IT अवसंरचना प्रदान करता है। वर्ष 2019 में यह अनिवार्य किया गया कि एक अधिसूचित सीमा से अधिक टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स को GSTN ई-चालान पोर्टल पर GST संबंधी कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इन दस्तावेजों में GST चालान, व्यापार से लेन-देन के लिये क्रेडिट और डेबिट नोट शामिल हैं।
- समिति ने सुझाव दिया कि GSTN ई-चालान पोर्टल के साथ TReDS को जोड़ा जाए। इससे TReDS प्लेटफॉर्म पर सभी GST चालानों की स्वचालित अपलोडिंग हो जाएगी और चालान का वास्तविक समय एक्सेस हो सकेगा। समिति ने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया और प्रामाणिक होगी तथा फैक्टरों के लिये TReDS प्लेटफॉर्म आकर्षक बनेगा, MSME के ऋण के प्रवाह में सुधार होगा।
- **TReDS पर सरकारी बकाए की अनिवार्य सूची:** समिति के अनुसार, वधियक में यह संशोधन किया जाए कि TReDS प्लेटफॉर्म पर केंद्र और राज्य सरकारों के प्राप्य की सूची अनिवार्य हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि MSME को बकाया सरकारी भुगतान समय रहते उपलब्ध हो।

नई वनिविश नीति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (Public Sector Enterprises- PSE) के वनिविश के लिये नई नीति को मंजूरी दी जो कि केंद्र सरकार द्वारा PSE के स्वामित्व और नियंत्रण को अभिशासित करेगा। नीति के अंतर्गत सरकार वभिन्न क्षेत्रों में PSE की मौजूदगी को कम करेगी और नज़ी क्षेत्र के वनिविश के लिये जगह बनाएगी। यह नीति सभी क्षेत्रों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक आधार पर वर्गीकृत करेगी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनियों और ऊर्जा की उपलब्धता, वित्तीय सेवाओं और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के मानदंडों पर आधारित होगी।

रणनीतिक क्षेत्र हैं,

- (i) परमाणु ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष।
- (ii) परविहन और दूरसंचार।
- (iii) ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनजि।
- (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ।

यह नीति रणनीतिक क्षेत्रों में मौजूदा PSE की न्यूनतम मौजूदगी का प्रावधान करती है, चूँकि सरकार का लक्ष्य होल्डिंग कंपनियों (यानी कारोबार करने वाली कंपनी में शेयर रखने वाली कंपनी) के जरिये नियंत्रण बरकरार रखना है। रणनीतिक क्षेत्रों के सभी अन्य मौजूदा PSE का या तो नजीकरण कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा या दूसरे PSE में उसका वलिय कर दिया जाएगा या उसकी सहायक बना दी जाएगी। रणनीतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों के मौजूदा PSE का नजीकरण कर दिया जाएगा या अगर व्यावहारिक हुआ, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

नई नीति केंद्रीय PSE और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर लागू होगी। यह बना लाभ के कंपनियों (Not-For-Profit Companies) के रूप में काम करने वाले, कमजोर वर्गों को मदद देने वाले, विकासपरक या नयामक भूमिका नभाने वाले या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण डेटा का रखरखाव करने वाले जैसे कुछ PSE पर लागू नहीं होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता), 2021

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

और पढ़ें

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology- IT) हार्डवेयर के लिये उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य IT हार्डवेयर की वैल्यू चेन में घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देना और उसमें व्यापक निवेश को आकर्षित करना है। इस योजना में IT हार्डवेयर से नमिनलखिति शामिल होंगे:

- (i) लैपटॉप।
- (ii) टैबलेट्स।
- (iii) ऑल इन वन परसनल कंप्यूटिंग डेवाइस।
- (iv) सर्वर। PLI योजना के अंतर्गत कंपनियों को घरेलू स्तर पर उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बात पर गौर किया कि भारत में लैपटॉप और टैबलेट्स की मांग व्यापक रूप से आयात के जरिये पूरी की जाती है। लैपटॉप और टैबलेट्स के निर्यात की लागत वर्ष 2019-20 में क्रमशः 4.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 0.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। चार वर्षों के दौरान प्रस्तावित योजना की कुल लागत लगभग 7,350 करोड़ रुपए है।

ब्लॉकचेन पर मसौदा राष्ट्रीय रणनीति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन पर मसौदा राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। ब्लॉकचेन एक वितरित खाता-बही तकनीक (Ledger Technology) होती है जो कि कारोबारी लेन-देन के सभी पक्षों के बीच साझा खाता-बही पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन में उपयोग होने वाली डेटा संरचना एक निश्चित समय में हुए लेन-देन का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखती है। यह लेन-देन को सत्यापित करने के लिये किसी केंद्रीय संस्था की आवश्यकता को समाप्त करती है।

मंत्रालय ने कहा कि प्रौद्योगिकी लेन-देन में पारदर्शिता, अपरिवर्तनीयता और उसके प्रबंधन की कुशलता बढ़ाती है। इसे वभिन्न डोमेन में उपयोग किया जा सकता है, जैसे- संपत्ति रिकॉर्ड प्रबंधन, पहचान प्रबंधन, आपूर्ति शृंखला और ई-वोटिंग। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ब्लॉकचेन ई-गवर्नेंस में मूल्य को जोड़ सकती है। उसने ब्लॉकचेन के उपयोग में नमिनलखिति चुनौतियों को स्पष्ट किया:

- (i) मापन और लेन-देन की गति।
- (ii) डेटा सुरक्षा और गोपनीयता।
- (iii) मानकीकरण और अंतर।
- (iv) कुशल जनशक्ति।

मसौदा रणनीतिकी मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क:** रणनीति में यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बनाया जाए। फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश के अनेक ज़ोन्स में ब्लॉकचेन प्लेटफार्मों की मेज़बानी के लिये बुनियादी ढाँचे बनाए जाएंगे। रणनीति राष्ट्रीय संसाधन के तौर पर ब्लॉकचेन के लिये बुनियादी ढाँचे बनाने का प्रस्ताव रखती है और ब्लॉकचेन एज़ अ सर्विस (Blockchain as a Service- BaaS) की पेशकश का सुझाव देती है। BaaS का अर्थ है, ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों के निर्माण और होस्टिंग के लिये क्लाउड आधारित सेवाओं की पेशकश।
- रणनीति प्रस्ताव रखती है कि ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (Application Programming Interface- API) के साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकी स्टैक को विकसित किया जाए। API में दो सॉफ्टवेयर सिसिटेम्स को एक-दूसरे के साथ इंटरएक्ट कर सकते हैं। ओपन API का मतलब है, सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरफ़ेस। राष्ट्रीय ढाँचे की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिये उत्कृष्टता का एक बहु-संस्थागत केंद्र बनाया जाएगा।
- **राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं का एकीकरण:** राष्ट्रीय स्तर की नमिनलखिति सेवाओं को ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क से एकीकृत किया जा सकता है:
 - (i) दस्तावेज़ों की इंस्टेंट साइनिंग के लिये ऑनलाइन सेवा ई-साइन (eSign)।
 - (ii) विभिन्न सरकारी एप्लीकेशन के एक्सेस के लिये इस्तेमाल होने वाली सत्यापन सेवा ई-प्रमाण (ePramaan)।
 - (iii) सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किये जाने वाले दस्तावेज़ों को एक्सेस करने की ऑनलाइन सेवा डिजिलॉकर (DigiLocker)।
- **क्षमता निर्माण:** रणनीति में कहा गया है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अल्पावधि के पाठ्यक्रमों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रणनीति अनुप्रयोगों के विकास और परीक्षण तथा वर्चुअल प्रशिक्षण के लिये सैंडबॉक्स वातावरण बनाने की पेशकश करती है। सैंडबॉक्स वह वातावरण प्रदान करता है जिसमें बाज़ार भागीदार एक न्यतिरति माहौल में ग्राहकों के साथ नए उत्पादों, सेवाओं या बिजनेस मॉडल्स की जाँच कर सकते हैं।

संचार

5जी के लिये भारत की तैयारी

सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति (अध्यक्ष: डॉ. शशांथरूर) ने 5जी के लिये भारत की तैयारी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **5जी नेटवर्क की स्थिति:** समिति ने कहा कि 59 देशों (USA, चीन और UK सहित) में 118 ऑपरेटर्स ने 5जी नेटवर्क को शुरू किया है। अब तक इसे ज़्यादातर सीमित स्तर पर शुरू किया गया है। भारत में कमर्शियल स्तर पर 5जी को शुरू किया जाना बाकी है। जनवरी 2021 तक दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers- TSP) को 5जी के परीक्षणों के लिये मंजूरी नहीं दी। सीमिति ने कहा कि भारत में 5जी सेवा को शुरू करने के लिये पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है। उसने 5जी सेवा के इस्तेमाल से जुड़ी नमिनलखिति चुनौतियों का उल्लेख किया:
 - (i) स्पेक्ट्रम की अपर्याप्त उपलब्धता।
 - (ii) स्पेक्ट्रम की उच्च कीमत।
 - (iii) विभिन्न क्षेत्रों में 5जी की उपयोगिता का आकलन न करना।
 - (iv) फाइबरेशन कम होना (ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्टिविटी)।
 - (v) बैकहॉल क्षमता का कम होना।
- **5जी के लिये स्पेक्ट्रम का आवंटन:** 5जी को शुरू करने के लिये स्पेक्ट्रम के नए बैंड्स का आवंटन महत्वपूर्ण है। हालाँकि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अभी भी लंबित है। समिति ने टेलीकॉम कंपनियों की इस चिंता पर गौर किया कि 5जी स्पेक्ट्रम के लिये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने जो आरक्षणित मूल्य तय किया है (492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्टज़ (MHz), वह काफी ज़्यादा है। समिति ने कहा कि क्षेत्र के वित्तीय दबाव और यह देखते हुए कि 5जी पारिस्थितिकी तंत्र अभी विकसित किया जाना है, अधिक आरक्षणित मूल्य से 5जी को शुरू करने की सेवा प्रदाताओं की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है।
- सीमिति ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम की मौजूदा उपलब्धता के आधार पर प्रतिऑपरेटर के लिये लगभग 50 मेगाहर्टज़ सुनिश्चित किया जा सकता है। यह 100 मेगाहर्टज़ प्रतिऑपरेटर के विश्व औसत से काफी कम है। समिति ने कहा कि 4जी के मामले में भी भारत में औसत स्पेक्ट्रम प्रतिऑपरेटर विश्व औसत का लगभग एक चौथाई है। समिति ने कहा कि कम उपयोग का पता लगाने के लिये सभी आवंटित स्पेक्ट्रम का तत्काल ऑडिट किये जाने की आवश्यकता है और इस प्रकार स्पेक्ट्रम के आवंटन को रेशनलाइज़ किया जा सकता है।

वाणजिय एवं उद्योग

भारतीय अर्थव्यवस्था में नविश

वाणजिय संबंधी स्थायी समिति ने कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नविश को आकर्षित करने, चुनौतियों और अवसर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील जैसे क्षेत्रों की समस्याओं पर गौर किया। समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **लॉजिस्टिक्स:** नमिनलखिति कारणों से लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत अधिक है:
 - (i) सड़क परिवहन पर अधिक निर्भरता,
 - (ii) सड़कों और बंदरगाहों के बुनियादी ढाँचे की खराब गुणवत्ता,
 - (iii) स्टोरेज बुनियादी ढाँचे में टूट-फूट
 - (iv) अनेक हतिधारकों की मौजूदगी।

समिति ने नमिनलखिति सुझाव दिये:

- (i) लॉजिस्टिक्स क्सेक्टर को मज़बूत करने और उसे औपचारिक बनाने के उपायों को लागू करना।
- (ii) रेलवे और आंतरिक जलमार्ग संबंधी अवसंरचना में सुधार।
- (iii) क्सेक्टर में प्रभावी विकास के लिये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीतिको अंतिम रूप देना।

- **ऑटोमोबाइल:** समिति ने ऑटोमोबाइल क्सेक्टर में मांग को प्रोत्साहित करने, नरियात को बढ़ावा देने और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उसने नमिनलखिति सुझाव दिये:
 - (i) वाहनों के लिये GST दर को 28% से घटाकर 18% किया जाए।
 - (ii) अफ़रीकी और एशियाई देशों जैसे नए बाज़ारों में नरियात को बढ़ावा देने के लिये समझौतों पर हस्ताक्षर करना।
 - (iii) वनिरिमाण शुरू करने से संबंधित मंजूरीयों के लिये एकल-खडिकी सुवधि प्रदान करना।
- **चकितिसा उपकरण:** कुछ चकितिसा उपकरणों पर मूल्य नरियंत्रण है जो कबिकिरी कीमत तय करता है या नरिमाता पर इस बात की पाबंदी लगाता है कि वह कीमत को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकते। समिति ने सुझाव दिया कि चकितिसा उपकरण का मूल्य दवाओं के मूल्य से अलग होना चाहिये और उसकी नगिरानी के लिये एक अलग नयिमक संस्था बनाई जानी चाहिये। इसके अतरिकित उसने सुझाव दिया कि चकितिसा उपकरण नयिमक अधनियिम लागू किया जाना चाहिये। वर्तमान में ड्रग्स (मूल्य) नरियंत्रण आदेश [Drug (Prices) Control Order], 2013 दवाओं और चकितिसा उपकरणों के मूल्य का नरिधारण करता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** भारत मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालाँकि अधिकतर मोबाइल फोन भारत में असेंबल होते हैं, पर उनके हिस्से दूसरी जगहों से आयात किये जाते हैं। समिति ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण में नविश करने वाली कसिी भी वदिशी कंपनी से इंफ़्रास्ट्रक्चर में नविश की अपेक्षा की जानी चाहिये और उससे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण करने को कहा जाना चाहिये। उसने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को सस्ते आयात से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण उद्योग को बचाने के लिये आयात शुल्क लगाने पर वचिर करना चाहिये।

शर्म

प्रवासी शर्मकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय

शर्म संबंधी स्थायी समिति ने अंतर-राज्यीय प्रवासी शर्मकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय पर अपनी रपौरट प्रस्तुत की है।

[और पढ़ें](#)

स्वास्थ्य

चकितिसा उपकरण नयिम, 2017

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चकितिसा उपकरण नयिम, 2017 में मसौदा संशोधन जारी किये। 2017 के नयिम चकितिसा उपकरण के मानकों और लाइसेंसिंग का प्रावधान करते हैं। नयिमों में कहा गया है कि चकितिसा उपकरणों को [भारतीय मानक ब्यूरो](#) (Bureau of Indian Standards- BIS) या समय-समय पर मंत्रालय द्वारा नरिदषिट मानदंडों का पालन करना चाहिये। यदि BIS या मंत्रालय के कोई मानदंड उपलब्ध न हों तो उपकरण को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग (International Organisation for Standardisation or International Electro-Technical Commission) के मानदंडों का पालन करना चाहिये।

मसौदा संशोधनों में यह भी कहा गया है कि BIS और मंत्रालय के मानकों के अभाव में चकितिसा उपकरणों के परीक्षण के लिये अमेरिकी मानक परीक्षण वधि के मानक भी स्वीकार्य होंगे।

रक्षा

रक्षा अधगिरहण परषिद

[रक्षा अधगिरहण परषिद](#) ने सशस्त्र बलों के लिये 13,700 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। यह खरीद रक्षा अधगिरहण खरीद, [भारतीय-IDDM (देसी स्तर पर डिज़ाइन के विकास और नरिमाण)] श्रेणी के अंतरगत की गई है।

इस खरीद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिज़ाइन और वकिसति प्लेटफॉर्म तथा ससिटमस भी शामिल हैं। खरीद (भारतीय-IDDM) का अर्थ है, भारतीय वकिरेता से उत्पादों की खरीद, जो न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content) के साथ देसी स्तर पर डिज़ाइन, वकिसति और नरिमिति है। स्वदेशी सामग्री आधार अनुबंध मूल्य में स्वदेशी सामग्री की लागत का प्रतिशत होता है। खरीद (भारतीय-IDDM) रक्षा अधगिरहण प्रक्रिया, 2020 के अंतरगत खरीद की एक श्रेणी है।

महिला एवं बाल विकास

कशोर न्याय (बच्चों की देख रेख एवं संरक्षण) अधनियिम, 2015

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [कशोर न्याय \(बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#) में संशोधनों को मंजूरी दी। अधिनियम में कानून से संघर्षरत बच्चों और देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान है। संशोधनों में बाल संरक्षण को मज़बूत करने के उपायों को पेश किया गया है। मुख्य संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अधिनियम का कवरेज:** अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को परभाषित किया गया है। हालाँकि इसमें जघन्य अपराध करने वाले 16-18 वर्ष के बच्चों पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने का विशेष प्रावधान है। जघन्य अपराध वह है, जिसके लिये भारतीय दंड संहिता में सात वर्ष की न्यूनतम सज़ा है। प्रस्तावित संशोधनों में पहले अपराभाषित अपराधों को 'गंभीर अपराध' के तौर पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है।
- **एडॉप्शन के आदेश:** अधिनियम न्यायालय को इस बात का अधिकार देता है कि वह कुछ स्थितियों में एडॉप्शन के आदेश जारी कर सकता है, जैसे- अगर यह बच्चे के हित में है। इसके लिये न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिये। संशोधनों में प्रस्तावित है कि मामलों के समय पर नपिटान के लिये ज़िला मेजिस्ट्रेट और अतिरिक्त ज़िला मेजिस्ट्रेट एडॉप्शन के आदेश जारी कर सकते हैं।
- **बाल कल्याण समिति (CWC):** अधिनियम में प्रावधान है कि देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों के हित के लिये राज्य हर ज़िले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समितियाँ (Child Welfare Committees- CWC) बना सकते हैं। यह CWC के सदस्यों को नियुक्त करने के लिये कुछ मानदंड तय किये गए हैं, जिसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - (i) वह व्यक्ति कम-से-कम सात वर्षों तक बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के कार्यों से जुड़ा रहा हो, या (ii) वह व्यक्ति बाल मनोवैज्ञान, मनोचिकित्सक, कानून या सामाजिक कार्य की डिग्री प्राप्त अभ्यास करने वाला पेशेवर हो। प्रस्तावित संशोधन CWC सदस्यों की नियुक्ति के पात्रता मानदंडों में संशोधन करेगा।

कॉर्पोरेट मामले

छोटी कंपनियों की कैपिटल और टर्नओवर की सीमा बढ़ाई

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत छोटी कंपनियों के तौर पर वर्गीकृत होने के लिये कैपिटल और टर्नओवर की सीमा बढ़ा दी है। पेड-अप कैपिटल की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है। टर्नओवर की सीमा दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषित ये बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे।

इस परिवर्तन से दो लाख से ज़्यादा कंपनियों के अब छोटी कंपनियों के तौर पर वर्गीकृत होने की उम्मीद है। इससे इनके लिये प्रकटीकरण की कम आवश्यकता होगी और फीस और जुर्माने भी कम भरना पड़ेगा।

ऊर्जा

बजिली की खरीद के लिये प्रतस्पर्द्धी बडिगि प्रक्रिया

ऊर्जा मंत्रालय ने मशरति स्रोतों (अक्षय ऊर्जा स्रोतों तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा सम्मिश्रण) से राउंड द क्लॉक (Round-The-Clock- RTC) बजिली की खरीद के लिये टैरिफि आधारित प्रतस्पर्द्धी बडिगि प्रक्रिया के दशिया-नरिदेशों में संशोधन किया है। इन दशिया-नरिदेशों को जुलाई 2020 में जारी किया गया था ताकि अक्षय ऊर्जा तथा दूसरे स्रोतों (जो अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं हैं) की बंडलिंग की जा सके। इससे अक्षय ऊर्जा की अनरितर प्रकृति की चुनौतियों से नपिटा जा सकता है। संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **नॉन शेड्यूल बजिली से प्राप्त राशिको साझा करने की सीमा :** बजिली उत्पादकों और खरीदारों को बजिली की बकिरी के लिये एक पूर्वानुमान और नरिधारण प्रक्रिया का पालन करना होता है। अगर नरिधारित समय के अनुसार खरीदार बजिली की खरीद नहीं करता है तो खरीदार को उत्पादक को हरजाना देना होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक तीसरे पक्ष को नॉन-शेड्यूल बजिली बेच सकता है और मुआवज़े से प्राप्त राशिको समायोजित कर सकता है। बजिली उत्पादकों को खरीदार के साथ नॉन शेड्यूल बजिली (शेड्यूल के बनिा बजिली देना) की बकिरी से प्राप्त राशिको कुछ हिससा साझा करना होगा।
- **अक्षय ऊर्जा के लिये संशोधनों में 90% शुद्ध प्राप्त की शेरबल मात्रा को बढ़ाकर 95% किया गया है। गैर-अक्षय ऊर्जा के लिये 50% शुद्ध प्राप्त (परिवर्तनशील शुल्क को छोड़कर) को बढ़ाकर 95% किया गया है।**
- **अप्रत्याशति घटना पर फ़ैसले की अवधि:** संशोधन में बजिली उत्पादों की अप्रत्याशति घटना के दावों पर खरीदार की फ़ैसला लेने की अवधि को 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। अप्रत्याशति घटना के दावे का अर्थ है, अनरितरित घटनाओं जैसे- भूकंप और बाढ़ की स्थिति में राहत के लिये दावा करना (जैसे- प्रदर्शन संबंधी बाधयताओं से छूट)।

रसायन एवं उर्वरक

उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2028-29 की अवधि में फार्मास्यूटिकल्स के लिये [उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन योजना](#) (Production Linked Incentive Scheme-PLI) को मंज़ूर कर लिया है। योजना फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिये अंब्रेला योजना (Umbrella Scheme) का हिससा है। योजना का उद्देश्य नविश और उत्पादन बढ़ाकर तथा उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की वनिरिमाण क्षमता को बढ़ाना है। मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **लक्ष्य समूह:** फार्मास्यूटिकल गुड्स के नरिमाताओं को वशिवस्तरीय वनिरिमाण राजस्व (Global Manufacturing Revenue- GMR) के आधार पर दोबारा से समूह में बाँटा जाएगा। ये समूह फार्मास्यूटिकल गुड्स के GMR (2019-20) के आवेदक होंगे:
 - (i) **समूह A:** 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक।
 - (ii) **समूह B:** 500 करोड़ रुपए और 5,000 करोड़ रुपए के बीच।
 - (iii) **समूह C:** 500 करोड़ रुपए से कम।

MSME उद्योग के लिये एक उप समूह इस समूह के भीतर बनाया जाएगा।

- **प्रोत्साहन:** योजना के अंतर्गत कुल 15,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन (प्रशासनिक व्यय सहित) है। लक्ष्य समूहों में प्रोत्साहन का आवंटन इस प्रकार है:
 - (i) **समूह A:** 11,000 करोड़ रुपए।
 - (ii) **समूह B:** 2,250 करोड़ रुपए।
 - (iii) **समूह C:** 1,750 करोड़ रुपए।
- समूह A और समूह C के लिये प्रोत्साहन को किसी दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। समूह B के आवेदकों को मलि प्रोत्साहन का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो यह समूह A के आवेदकों को मलि जाएगा।
- **कवर कथि गए गुड्स:** योजना के अंतर्गत कवर कथि गए गुड्स को नमिनलखिति में श्रेणीबद्ध कथि जाएगा:
 - (i) **श्रेणी 1:** इसमें जटलि जेनेरिक ड्रग्स, पेटेंट ड्रग्स और सेल आधारित या जीन थेरेपी ड्रग्स शामिल हैं।
 - (ii) **श्रेणी 2:** इसमें सकरथि फार्मास्यूटिकल सामग्री और मुख्य परारंभिक सामग्री शामिल हैं।
 - (iii) **श्रेणी 3:** श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में न आने वाली ड्रग्स, जैसे पुनरखरीद ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स और एंटी डायबिटिक ड्रग्स।
- **प्रोत्साहन की दर:** योजना के अंतर्गत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिये प्रोत्साहन की दर उत्पादन के पहले चार वर्षों के लिये 10% (उत्पादों की बकिरी मूल्य का), पाँचवें वर्ष 8% और छठे वर्ष 6% होगी। श्रेणी 3 के लिये प्रोत्साहन की दर उत्पादन के पहले चार वर्षों के लिये 5% (उत्पादों की बकिरी मूल्य का) पाँचवें वर्ष 4% और छठे वर्ष 3% होगी।

पृथ्वी वजिज्ञान

नीली अर्थव्यवस्था

पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय ने भारत की ब्लू इकॉनमी यानी [नीली अर्थव्यवस्था](#) के लिये मसौदा नीतितगत रूपरेखा जारी की। नीली अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधन और समुद्री तथा तटवर्ती तटीय क्षेत्रों में मानव नरिमति आर्थिक अवसरचनाएँ शामिल होती हैं। इस नीति में ऐसी रणनीति प्रस्तुत की गई है, जिसे अपनाकर सरकार सतत् विकास के लिये समुद्री संसाधनों का उपयोग कर सकती है। रणनीति नमिनलखिति का प्रयास करती है:

- (i) GDP में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना।
- (ii) तटीय समुदायों के जीवन में सुधार।
- (iii) समुद्री जैव वविधिता का संरक्षण।
- (iv) समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की सुरक्षा को बरकरार रखना।

मसौदा नीति के मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **नीली अर्थव्यवस्था का योगदान:** भारत में नीली अर्थव्यवस्था का आकार GDP का लगभग 4% अनुमानित है लेकिन अगर अधिक भरोसेमंद तरीका अपनाया जाए तो यह और बढ़ सकता है। नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित भरोसेमंद डेटा जमा करने के लिये एक नए टोस प्रणाली को तैयार किया जाना चाहिये। क्षेत्र और उन गतविधियों को चहिनति करने के लिये एक वशिषज्ज समिति का गठन किया जाना चाहिये जो कि इस अर्थव्यवस्था का हसिंसा है।
- **तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पर्यटन:** समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के लिये पर्यावरणीय वशिषताओं, भूगोल और उपलब्ध संसाधनों के मौजूदा उपयोग पर नकशे और डेटा के जरथि तटीय समुद्री स्थानिक योजना बनाई जानी चाहिये। उसके वसितार और प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिये।
- **सतत् समुद्री मत्स्योद्योग:** नीति नमिनलखिति का सुझाव देती है: (i) क्षेत्र के लिये एक नई राष्ट्रीय नीति और समुद्री मत्स्योद्योग के प्रभावी प्रबंधन के लिये कानूनी एवं संस्थागत संरचना स्थापति करना और (ii) मत्स्योद्योग और संबंधित गतविधियों के प्रबंधन और वनियमन के लिये समरपति उपग्रह प्रणाली की तैनाती की संभावना तलाशना।
- **कानूनी और नयिमक सुधार:** इन सुधारों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - (i) नीली अर्थव्यवस्था के विकास और वनियमन के लिये कानूनी संरचना को लागू करना।
 - (ii) समुद्री मत्स्य पालन वनियमन अधिनियम के दायरे में संशोधन करके, मत्स्योद्योग और संबंधित गतविधियों के प्रबंधन और वनियमन के लिये केंद्रीय कानून बनाना।
 - (iii) क्वारंटाइन और प्रमाणीकरण सेवाओं सहित समुद्री रोगों के प्रबंधन के लिये केंद्रीय कानून को पेश करना।

